

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

संख्या डी0 एल0 ए0 नालंदा - 2648/रा, पटना, दिनांक-20-11-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-गोरावाँ परगना-वेसवक, थाना नं0-406 थाना-बिहार, जिला-नालंदा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नूरसराय से सिलाव पथ भाया बेगमपुर कि0मी0 0 से 21.85 कि0मी0 तक पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-गोरावाँ, थाना नं0-406 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 3.6225 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं0- 2454, 2455, 2456, 2457, 2459, 2460, 2461, 2491, 2494, 2498, 2499, 2501, 2505, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2520, 2521, 2522, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545, 2546, 2547, 2548, 2553, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 3489, 3490, 3491, 3493, 4321 एवं 4337 सभी अंश तथा खेसरा सं0-2492, 2493, 2500, 2506, 2507, 2508 एवं 2544 सभी पूर्ण

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- खण्ड "क" सीवाना मौजा गोबिन्दपुर थाना नं0-406
खण्ड "ख" सीवाना मौजा नेपुरा थाना नं0-421

पूरब :- खण्ड "क" खेसरा सं0 2457, 2459, 2460, 2521, 2522, 2516, 2515, 2514, 2511, 2509, 2454, 2448, 2449, 2539, 2557 एवं 2558 सभी अंश
खण्ड "ख" खेसरा सं0 3491, 3493, 4320, 4335, 4336 सभी अंश एवं सीवाना मौजा-सिलाव थाना नं0-420


दक्षिण:-खण्ड "क" सीवाना मौजा गोबिन्दपुर थाना नं0 405
खण्ड "ख" सीवाना मौजा सिलाव थाना नं0 420

पश्चिम :- खण्ड "क" खेसरा सं0- 2454, 2455, 2456, 2457, 2459, 2460, 2461, 2520, 2517, 2516, 2515, 2514, 2518, 2505, 2501, 2491, 2543, 2542, 2541, 2540, 2557, 2556, 2560 एवं 2559 सभी अंश
खण्ड "ख" खेसरा सं0 3489, 3490, 3493, 4320, 4321, 4334, 4337, 4338, 4345, 4346, 4347 एवं 4349 सभी अंश।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961, संशोधित अधिनियम-1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।


बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे.....के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-(2) में यथा उपबंधित या बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।


जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालंदा


समाहर्ता,
नालंदा

बिहार राज्यपाल के आदेश से




सरकार के सचिव

ज्ञापांक 26.48/डी0 एल0 ए0- नालन्दा, दिनांक 20-11-17

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :- समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के  सचिव
